न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

विविध 2124-II-15

आर. एस. संशा. क्रमांक/2015 विविध
आज दि 8-7-15 को

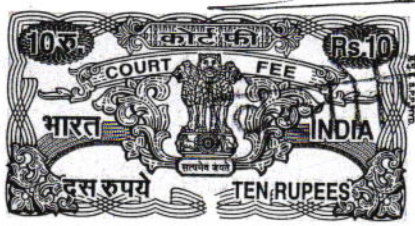

क्लर्क 8-7-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती नूरजहां बेगम पति नाईमशाह निवासी मोहल्ला बिछिया
तहसील हुजूर जिला रीवा म० प्र० --- आवेदिका

बनाम

शासन म० प्र० द्वारा तहसीलदार हुजूर ---- अनावेदक
जिला रीवा म० प्र०

आवेदन-पत्र बाबत माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर के प्रकरण क्र० 1674/2007 पारित आदेश दिनांक 8/2/2011 के आदेश की अवमानना प्रकरण क्र० 2169/तृतीय/2013 आदेश दिनांक 27/5/2013 का पालन अपर कलेक्टर रीवा के द्वारा विचाराधीन प्रकरण में त्वरित कार्यवाही किये जाने का दिये जाने आदेश एवं अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण का माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल स्वयं प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु अपर कलेक्टर का प्रकरण मंगवाये जाने हेतु बास्ते निर्णय पारित किये जाने हेतु

आवेदन-पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं धारा 30 म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959ई०

मान्यवर,

आवेदन-पत्र के आधार निम्न है:-

वीरेन्द्र कुमार सिंह

यह कि उपरोक्त उन्मान का प्रकरण माननीय ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध प्रकरण-2125/दो/2015 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश नूरजहां / शासन	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–12–2015	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित । पकरण में आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता पर सुनना गया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में अंकित आक्षेपित आदेशों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गयी है। संहिता में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जिस आदेश के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे उसकी प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जावे। ऐसी स्थिति में आवेदक अधिवक्ता द्वारा आक्षेपित आदेशों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गयी है। जो विधि के विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से यह विविध प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो। सदस्य	